न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः— अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
17/2021	18.10.2021	21.06.2024

1. हनुमान पुत्र नानगा उम्र 45 वर्ष
2. लखपत पुत्र नानगा उम्र 40 वर्ष
3. धापू पत्नी नानगा उम्र 75 वर्ष जातियान कुम्हार निवासी रामडी तहसील सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण राजस्व ग्राम रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर के मूल निवासी होने के साथ–साथ काश्तकार पेशा व्यक्ति है । प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति को राजस्व ग्राम रामडी में दिनांक 6.11.75 को साविक खसरा नं0 7 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा में से 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन की गई थी। जिम्मन नं0 एक की जमाबन्दी सम्वत् 2013 से सम्वत् 2016 की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। एवं साविक ट्रेसशीट की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगणों के पिता को वरवक्त आवंटन 5 बीघा भूमि साविक खसरा [illegible] में सम्भलाई थी, जिस पर प्रार्थीगणों का अपने [illegible] से लेकर आज तक शांति पूर्वक भौतिक कब्जा च[illegible]णों ने कब्जे की भूमि में दस वर्ष से अमरूदों का बगीचा लगा र[illegible] है एवं अमरूदों में पानी देने के लिये ट्यूब बेल के साथ–साथ आवासीय पुख्ता मकान भी बना रखा है जिसमें प्रार्थीगण मय परिवार के निवास कर रहे है। वर्तमान में भू प्रबन्ध विभाग ने सम्पूर्ण तहसील का नवीन रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sing
Date: 2025.09.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

तैयार किया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साविक खसरा नं0 7 के नवीन खसरा नं0 साविक रकबा से भी अधिक दर्ज किये है। भू प्रबन्ध विभाग ने तुलनात्मक तालिका के अनुसार हाल नवीन खसरा नं0 27 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 28 रकबा 0.08 है0 खसरा नं0 29 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 30 रकबा 0.18 है0 खसरा नं0 31 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 32 रकबा 0.44 है0 कुल किता 6 रकबा 1.33 है0 दर्ज किये है। हाल जमाबन्दी संवत् 2074 से संवत् 2077 की खाता संख्या 238 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगणों का गत 45 वर्ष से एक ही जगह पर एक चक के रूप में 6 बीघा कृषि भूमि पर भौतिक कब्जा होते हुए भी प्रार्थीगणों के नाम से 6 बीघा भूमि के 6 नवीन खसरा नम्बर दर्ज करके रकबा भी 1.33 है0 दर्ज कर दिया है। हाल ट्रेसशीट की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। हाल ट्रेस में लाल लाईनों से दर्शित भूमि पर प्रार्थीगणों का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगणों की भूमि एक चक रूप में होते हुए भी भू प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थीगणों के कब्जे की भूमि में हाल खसरा नं0 53 रकबा 0.10 है0 चरागाह की भूमि दर्शा रखी है। एवं खसरा नं0 31 रकबा 0.15 है0 में 10 वर्ष से अमरूदों का बगीचा होते हुए भी हाल जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है। इसलिये मुताबिक कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगणों को उक्त विवाद की सर्व प्रथम जानकारी पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.06.21 को मौके पर जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करने पर विवाद ग्रस्त खसरा नं0 31 की जानकारी हुई एवं खसरा नं0 31 में सरसब्ज अमरूदों का बगीचा लगा होना सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित किया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवायी का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। भू प्रबन्ध विभाग ने साविक खसरा नं0 7 के नवीन खसरा नं० दर्ज किये है, जो मुताविक कब्जे के नही बनाये है। इसलिये मुताविक कब्जे के दुरूसती इन्द्राज हेतु तहसीलदार, सवाई माधोपुर को एक मात्र पक्षकार बनाया जा रहा है। क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग ने सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख तहसीलदार सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर दिया है। एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर से ही राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भी तलब की जावेगी। इसलिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी व मौका मुआयना अर्ज किये जायेगें। अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थनापत्र दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार, सवाई माधोपुर से राजस्व ग्राम रामडी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साविक व हाल राजस्व अभिलेख के

कलेक्टर
माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार दुरूस्ती किया जायें:– खसरा नं0 31 रकबा 0.15 है0 को गैर मुमकिन रास्ते के बजाय खातेदारी में दर्ज किया जायें। ब– खसरा नं0 53 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह के बजाय मुताबिक कब्जा खातेदारी में दर्ज किया जायें।स– ख0न0 27 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.10 है0 चरागाह में दर्ज किया जाकर मौके पर शेष रकबा रास्ते के उपयोग में आने के कारण गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें । अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित रिलीफ स्वीकार फरमाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती इन्द्राज हेतु तहसीलदार, सवाई माधोपुर को आदेशित किया जावें। आपकी कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक रिकार्ड साबिक ख0न0 7 रकबा 67 बीघा 7 बिस्वा में से 5 बीघा ग्राम रामडी में वादीगण के पिता नानगा को आवंटन हुआ था। वादीगण के पिता नानगा की मृत्यु पश्चात वादी हनुमान लखपत पि0 नानगा धापू पत्नी नानगा जाति कुम्हार उक्त भूमि पर काबिज है। साबिक खसरा नंबर 7 रकबा 67 बीघा 7 बिस्वा में से वादीगण की दौराने भू प्रबंध नवीन खसरा नंबर 27 रकबा 0.30, ख0न0 28 रकबा 0.04, 29 रकबा 0.18, 30 रकबा 0.15, 31 रकबा 0.15, 32 रकबा 0.44 कुल किता 06 रकबा 1.26 है0 दर्ज किया गया । खातेदारान द्वारा मौके पर ख0न0 30 रकबा 0.15, 31 रकबा 0.15, 32 रकबा 0.44, कुल किता 3 रकबा 0.74 पर बगीचा अमरूद लगा हुआ है। तथा मौके पर उक्त ख0न0 30 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर रिहायशी मकान बना हुआ है। जिसमें वादी सपरिवार निवास कर रहा है। वादीगण का कब्जा काश्त एक जगह पर है अलग–अलग जगह पर नहीं है। वादी का कब्जा काश्त हाल ख0न0 32 रकबा 0.44, 31 रकबा 0.15, 30 रकबा 0.75, 29 रकबा 0.18, 53 रकबा 0.10 तथा 27 रकबा 0.20 है0 पर कब्जा काश्त है एवं मौके पर ख0न0 32,31,30,29 एवं 53 पर बगीचा अमरूद लगा हुआ है। वादी की खातेदारी में ख0न0 27 रकबा 0.30 में से लगभग [illegible] है0 पर कब्जा कश्त है तथा शेष रकबा 0.10 पर [illegible] उक्त खसरा नंबर 27 में से 0.10 है0 चारागाह व [illegible] शुदा बगीचा के ख0न0 53 रकबा 0.10 गै0मु0 चारागाह की खातेदारी किया जाना उचित है। साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम रामडी में रास्ता दर्ज नहीं था। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही के नवीन नक्शा शीट ग्राम रामडी में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया जो मौके अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। वादी के वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

पत्र में अंकित तथ्यों एवं मौके के अनुसार वादी का कब्जा काश्त ख0न0 53 रकबा 0.10 है0 गै0मु0 चारागाह पर बगीचा अमरूद लगा हुआ है तथा ख0न0 27 रकबा 0.30 में से लगभग 0.20 पर कब्जा काश्त है। जिसके ख0न0 27 रकबा 0.30 में से रकबा 0.10 को चारागाह व ख0न0 53 रकबा 0.10 है0 को गै0मु0 चारागाह के बजाय वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाए तो किसी अन्य खातेदार या राजकीय भूमि पर कोई विपरित प्रभाव या राजकीय हानि नहीं है। उक्त दोनों ख0न0 27 व 53 साबिक खसरा नंबर 7 रकबा 67 बीघा 7 बिस्वा से बने है। भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके अनुसार तरमीम नहीं करने से वाद हुआ है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति राजस्व ग्राम रामडी में दिनांक 06.11.75 को साविक खसरा नंबर 7 रकबा 67 बीघा 7 बिस्वा में से 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन की गई थी। प्रार्थीगण के पिता को वरवक्त आवंटन 5 बीघा भूमि साविक खसरा नंबर 7 पर संभलाई गई थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 7 के नवीन खसरा नंबर साविक रकबा से भी अधिक दर्ज किए है। उक्त प्रार्थी को जो भूमि संभलाई गई थी उसके वर्तमान खसरा नंबर 27,28,29,30,31,32 कुल किता 6 कुल रकबा 1.26है0 है परंतु प्रार्थी का जिस स्थान पर कब्जा है एवं आवंटन के समय से जिस स्थान पर कब्जा दिखा रखा है वह खसरा नंबर 53 किस्म चारागाह एवं खसरा नंबर 31 किस्म गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्शा रखा है। प्रार्थी का कब्जा खसरा नंबर 27 पर कभी नहीं रहा है। अतः प्रार्थी के कब्जा अनुसार खातेदारी भूमि का इंद्राज किया जावे।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम रामडी के आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते को खातेदारी में दर्ज करवाना एवं खसरा नंबर 53 रकबा 0.10है0 किस्म चारागाह को मुताबिक कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाना एवं अपने खातेदारी भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.10है0 को चारागाह में दर्ज करवाने हेतु प्रकरण पेश किया है। तहसीदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम रामडी के खसरा नंबर 30,31,32 कुल किता 3 रकबा 0.74है0 पर अमरूद का बगीचा लगा हुआ है। खसरा नंबर 30 के दक्षिणी [illegible] कोने पर रिहायशी मकान बना हुआ है। खसरा नंबर 27 रकबा 0.30 में से 0.20 है0 पर कब्जा काश्त नहीं है तथा शेष रकबा 0.10 है0 पर कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नंबर 27 में से 0.10 है0 चारागाह एवं कब्जा [illegible]दा बगीचा के खसरा नंबर 53 रकबा 0.10 गै0मु0 चारागाह खातेदारी किया जाना उचित है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि चारागाह में से अपनी नाम खातेदारी दर्ज करवाने एवं अपनी खातेदारी भूमि को चारागाह में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रकरण पेश किया है जो गलत है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अवलोकन करने पर राजकीय भूमि के विनिमय की स्वीकृति या एक्सचेंज करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है। प्रकरण में प्रार्थी राजकीय भूमि से विनिमय करना चाहता है। जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से ही बाहर है। क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन है जिसको खारिज किया जाना न्यायहित में है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को टंकित करवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिला दफ्तर हो।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:31 IST
Reason: SelfAttested